

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(283)/निपेवि/नियम/2014

358-5604

दिनांक : 30.03.2015

समस्त विभागाध्यक्ष,

विषय :- राजस्थान सिविल सेवा पेंशन (नियम) 1996 के नियम 78 में वर्णित प्रारूप 6 को प्रतिस्थापित किये जाने बाबत।

प्रसंग :- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम /2008 दिनांक 24.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा वित्त (नियम) विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन (नियम) 1996 के नियम 78 में वर्णित विद्यमान प्रारूप 6 को जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, से प्रतिस्थापित किया है।

उक्त परिपत्र एवं परिशिष्ट "अ" (प्रारूप 6) की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्धारित उक्त प्रारूप में ही जारी किये जावे तथा भविष्य में इस विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग को भिजवाये जाने वाले पेंशन प्रकरणों के साथ उक्त प्रारूप में ही सेवानिवृत्ति आदेश जारी कर संलग्न किये जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डी. के. मित्तल)
निदेशक

क्रमांक : प.5(283)/निपेवि/नियम/2014

358-5604

दिनांक : 30.03.2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर।
2. कोषाधिकारी (समस्त), राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त संशोधन के संबंध में सभी संबंधितों के ध्यान में लायें।
3. कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को पेंशन विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।
4. उप/सहायक निदेशक, पीआर 1-4, 2-6, 3 एवं 5-7, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सहायक लेखाधिकारी, पीआर 1-4, 2-6, 3 एवं 5-7, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रधान सम्पादक, लेखा विज्ञ संस्थान, जनता प्रिन्टर्स, ए-9, फ्रेन्ड्स कॉलोनी, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर, 302015।
7. प्रधान सम्पादक, लेखा नियम, 1297, सांगो का रास्ता, किशन पोल बाजार, जयपुर 302003

निदेशक

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम) अनुभाग

क्रमांक: प.12 (6) वित्त/नियम/2008

जयपुर, दिनांक

परिपत्र

24.3.15

विषय :- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित प्ररूप 6 को प्रतिस्थापित किये जाने बाबत।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित विद्यमान प्ररूप 6 को जो परिशिष्ट-“अ” पर संलग्न है, से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(संध्या शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियां)
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को 100 अतिरिक्त प्रतियां संलग्न करते हुए सभी उप कोषागारों को भिजवाने हेतु।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
10. उप निदेशक. (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त विभाग सचिवालय,।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) को 7 प्रतियां।
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) वित्त विभाग (कम्प्यूटर सेल)

प्रतियां इन्हें भी :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा को अधीनस्थ विधायी समितियों को भिजवाने हेतु 20 प्रतियां।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

(संध्या शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-II

(पेंशन-6/2015)

प्ररूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति के आदेश का प्ररूप

राजस्थान सरकार

..... विभाग

सं.

तारीख :

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी जो (पद नाम)

..... के रूप में (सेवा)में कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री/श्रीमती/कुमारी के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

हस्ताक्षर

नियुक्त प्राधिकारी

का पद नाम

तारीख.....

सं.

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :

1. निदेशक, पेशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारी/पदधारी।
3. संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक फाईल।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

हस्ताक्षर

पद नाम